सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 72/2014

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प नरबदखेड़ा

1. श्री चौथुसिह बालिग पुत्र श्री लाखाजी
2. श्री अमरसिहं बालिग पुत्र श्री लालाली
3. श्री कूंपसिह बालिग पुत्र श्री लालाजी
4. श्री गोपाल सिह बालिग पुत्र श्री लालाजी
5. श्रीमति भंवरी बेवा लालाजी
   समस्त जाति रावत निवासी गांव भोजपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज.। बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. लाखा व लालू पिसरान सरदाराजी जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर।
6. मंगलसिंह बालिग पुत्र श्री धीसासिहं जी
7. आनन्दसिहं बालिग पुत्र श्री सुवासिहं जी
8. गोविन्दसिहं बालिग पुत्र श्री सुवासिहं जी
9. विजयसिंह बालिग पुत्र श्री सुवासिहं जी
10. सुरेशसिहं बालिग पुत्र श्री सुवासिहं जी
11. गंगादेवी बेवा श्री सुवासिहं जी
12. लकवीर सिहं बालिग पुत्र मोहनसिंह
13. कविता बालिग पुत्री मोहनसिंह
14. सरिता बालिग पुत्री मोहनसिंह
15. जनता बालिग पुत्री मोहनसिंह
16. श्रीमति सन्तोष बेवा मोहनसिंह
17. रमा उर्फ रूकमा बेवा किशनसिंह
18. चिम्मनसिंह बालिग पुत्र धन्नासिंह
19. भंवरसिंह बालिग पुत्र धन्नासिंह
20. गोविन्दसिंह बालिग पुत्र बालूसिंह
21. श्रवणसिंह बालिग पुत्र बालूसिंह
22. श्रीमति गीता बेवा बालूसिंह
    समस्त जाति रावत निवासी गांव भोजपुरा तहसील ब्यावर बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. धीसा व धन्ना पिसरान चन्दाजी जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर ।

---- वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत नरबदखेडा।
4. श्री नैनुसिंह बालिग पुत्र श्री लाखाजी जातिं रावत निवासी गांव भोजपुरा तह. ब्यावर जिला अजमेर राज.।

----- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 01.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में पेश हुई। वादीगण ने अपनेवादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि गांव भोजपुरा, पटवार क्षेत्र नरबदखेडा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज. में स्थित है। जिसका साबिक खसरा संख्या 273 रकबा 15–15–00 जिसके हाल खसरा संख्या 417 रकबा 15–10 00, 415 रकबा 00–05–00 कुल रकबा 15–15–00 जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है । वाद के पद नम्बर एक में वर्णित आराजी साबिक खसरा संख्या 273 रकबा

..............लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

15-15-00 के खातेदार काश्तकर बमुजब जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 में वादीगण व प्रति. न. 04 के पूर्वज श्री धीसा व धन्ना पिसरान चन्दा व लाखा व लालू पिसरान सरदारा बहिस्से बराबर चले आ रहे थे। राजस्व जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 में स्थित खातेदार श्री धन्ना का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात दिनांक 18.01.1983 को धन्ना के वारिसान भंवरू, बालू, चिम्मनसिंह वादीगण संख्या 19 से 23 के पूर्वज का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया व जब तक वादीगण के पूर्वज जीवित रहे तब तक सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त रहे व उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रति. न. 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद के पद नम्बर 1 में वर्णित आराजी साबिक खसरा संख्या 273 रकबा 15-15-00 के हाल के सेटलमेन्ट में खसरा नं. 417 रकबा 15-15-00 व सखरा संख्या 515 रकबा 00-05-00 कायम किये जाकर राजस्व जमाबन्दी संवत 2041 में अंकित किया गया जिसमें भी वादीगण व प्रति. न. 4 के पूर्वजों का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित चला आ रहा है, किन्तु वर्किंग जमाबन्दी संवत 2041 में राजस्व कर्मचारीयों की गलती व भूल से आराजी खसरा संख्या 417 रकबा 15-10-00 को गलत व गैरकानूनी रूप से व बिना अधिकार के व बिना किसी न्यायिक आदेश के उक्त जमाबन्दी में गोला कर दिया व कुल रकबा में कमी कर दी तत्पश्चात की बनी राजस्व जमाबन्दी संवत 2041 से 2044 में उक्त भूमि गलत व गैरकानूनी रूप से व बिना अधिकार के व बिना न्यायिक आदेश के ग्राम पंचायत नरबदखेडा के चारागाह के रूप में अंकित कर दिया व तत्पश्चात बनी जमाबन्दी संवत 2044 से 2047 में भी ग्राम पंचायत नरबडखेडा का चारागाह के रूप में नाम अंकित किया गया। तत्पश्चात संवत 2052 से लेकर अभी तक उक्त भूमि चारागाह के नाम पर राजस्व अभिलेखो में गलत व गैरकानूनी रूप से व बिना किसी न्यायिक आदेश के अंकित चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा संख्या 273 जो कि वादीगण व प्रति.न. 4 के पूर्वजो की संयुक्त रूप से खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही काश्त होती रही व सेटलमेन्ट के समय उक्त साबिक खसरा संख्या 273 के नये दो खसरा नम्बर 415 रकबा 00-05-00 व 417 रकबा 15-10-00 अंकित हुऐ जो राजस्व जमाबन्दी संवत 2041 में अंकित है, किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने गलत रूप से व बिना न्यायिक आदेश के व बिना वादीगण के पूर्वजों को सुने व बिना अवाप्त किये उक्त भूमि खसरा संख्या 417 रकबा 15-10-00 भूमि को ग्राम पंचायत नरबदखेडा के चरागाह के रूप में अंकित कर दी तत्पश्चात ग्राम पंचायत नरबदखेडा का नाम हटाया जाकर सिर्फ चरागाह के रूप में अंकित कर दी, जबकि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रति. न. 4 का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त बिना किसी बाधा व रूकावट के खुलमखुल्ला सबकी जानकारी में चला आ रहा है व उक्त भूमि खसरा संख्या 417 रकबा 15-10-00 भूमि वादीगण व उनके परिवारजन अपने पूर्वजो के समय से निरन्तर रूप से काश्त करने के उपयोग व उपभोग में चली आ रही है व उक्त भूमि कभी भी चारागाह के रूप में एक क्षण के लिये भी नही रही व न ही उक्त भूमि पर गांव व/या आस पास के गांव के जानवर चरते रहे व उक्त भूमि पर वादीगण का ही निरन्तर बिना किसी बाधा व रूकावट के खुलमखुल्ला कब्जा काश्त चला आ रहा है व वादीगण इस भूमि पर तिल व ज्वार बाजरा की काश्त निरन्तर करते चले आ रहे है। इसके विपरित उक्त क्षेत्र में 140 बीघा भूमि चरागाह के रूप में स्थित चली आ रही है। डिक्री बाबत घोषणा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की पारित की जावे कि वादीगण के पूर्वज वाद के पद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त रहे व वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है व उनका नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित रहा, किन्तु बिना किसी न्यायिक आदेश के उक्त भूमि गलत व गैरकानूनी रूप से चारागाह के रूप में अंकित हो गई है, जिसे हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 417 रकबा 15-10-00 भूमि बाबत वादीगण को बहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे

...............लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर,
ब्यावर

व तदनुसार राजस्व अभिलेखो में आवश्क दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये। परिणाम स्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जाय कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 417 रकबा 15-10-00 भूमि के राजस्व अभिलेखो में से चरागाह के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जाय। डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण उनके कर्मचारी, अधिकारी, नोकर, चाकर, ऐजेन्ट, असाईनीज, प्रतिनिधि, काश्तकार, मजदुर, मुख्तयार, इत्यादी वादीगण को वाद के पद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में हस्तक्षेप नही करे व वादीगण के कब्जे काश्त से बेदखल नही करे व न ही उनके शान्तिमय उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप, बाधा उत्पन्न न करे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 के सम्मन तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार ने मौखिक कथन किए कि वादग्रस्त खसरा संख्या 417 चरागाह में दर्ज है जिस बाबत् माननीय उच्चतम न्यायालय से निर्देश है कि किसी को नियमन व आवंटन नहीं की जावे। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नही है एवं खारिज़ किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वादग्रस्त हाल खसरा संख्या 417 जिसके साबिक खसरा नम्बर 273 हैं। उक्त वर्तमान खसरा संख्या 417 रकबा 15-10-00 किस्म दांती चरागाह दर्ज है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अनुपालना में ग्राम भोजपुरा, पटवार क्षेत्र नरबदखेडा, तहसील ब्यावर के खसरा संख्या 417 रकबा 15-10-00 बाबत् वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नरबदखेड़ा
राजस्व वाद संख्या 72/2014

1. श्री चौथुसिह बालिग पुत्र श्री लाखाजी
2. श्री अमरसिहं बालिग पुत्र श्री लालाली
3. श्री कूंपसिह बालिग पुत्र श्री लालाजी
4. श्री गोपाल सिह बालिग पुत्र श्री लालाजी
5. श्रीमति भंवरी बेवा लालाजी
   समस्त जाति रावत निवासी गांव भोजपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज.। बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. लाखा व लालू पिसरान सरदाराजी जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर।
6. मंगलसिंह बालिग पुत्र श्री धीसासिहं जी
7. आनन्दसिहं बालिग पुत्र श्री सुवासिहं जी
8. गोविन्दसिहं बालिग पुत्र श्री सुवासिहं जी
9. विजयसिंह बालिग पुत्र श्री सुवासिहं जी
10. सुरेशसिहं बालिग पुत्र श्री सुवासिहं जी
11. गंगादेवी बेवा श्री सुवासिहं जी
12. लकवीर सिहं बालिग पुत्र मोहनसिंह
13. कविता बालिग पुत्री मोहनसिंह
14. सरिता बालिग पुत्री मोहनसिंह
15. जनता बालिग पुत्री मोहनसिंह
16. श्रीमति सन्तोष बेवा मोहनसिंह
17. रमा उर्फ रूकमा बेवा किशनसिंह
18. चिम्मनसिंह बालिग पुत्र धन्नासिंह
19. भंवरसिंह बालिग पुत्र धन्नासिंह
20. गोविन्दसिंह बालिग पुत्र बालूसिंह
21. श्रवणसिंह बालिग पुत्र बालूसिंह
22. श्रीमति गीता बेवा बालूसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी गांव भोजपुरा तहसील ब्यावर बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. धीसा व धन्ना पिसरान चन्दाजी जाति रावत निवासी भोजपुरा तहसील ब्यावर ।

–––– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत नरबदखेडा।
4. श्री नैनुसिंह बालिग पुत्र श्री लाखाजी जाति रावत निवासी गांव भोजपुरा तह. ब्यावर जिला अजमेर राज.।

–––– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री ज्ञानचंद गादिया
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – ––
अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1 व 2 – पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 72/2014
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 01.06.2018

.............लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

डिगरी मुकदमा इब्तदाई

श्री चौथु सिह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

राजस्व वाद संख्या 72/2014

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, व धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वारा 2018 कैम्प नरबदखेड़ा

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.06.2018 को सुखराम खोखर (आए.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि –

ग्राम भोजपुरा, पटवार क्षेत्र नरबदखेडा, तहसील ब्यावर के खसरा संख्या 417 रकबा 15–10–00 बाबत् वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 01.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर